

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीएन विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.



Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

फाइल नं:- SECU-11011/1/2022-SECURITYSECTION/०१२५।

दिनांक:- 16.01.2026

सूचना/Notice

विषय: शेष बसों में स्टैंड सहित फेस डिटेक्शन डिवाइस की अनिवार्य स्थापना

Subject: Mandatory Installation of Face Detection Device with Stand in Remaining Buses

महोदय/महोदया,

बस सेवा रखने वाली समस्त इकाइयों के लिए All Units Having Bus Services

यह सूचित किया जाता है कि बस सेवा का लाभ लेने वाली सभी इकाइयों को अपने परिवहन कार्य में संलग्न शेष सभी बसों में स्टैंड सहित फेस डिटेक्शन डिवाइस स्थापित करना अनिवार्य है।

यह व्यवस्था सुरक्षा को सुदृढ़ करने, कर्मियों की उचित पहचान सुनिश्चित करने तथा प्रवेश नियंत्रण, निगरानी एवं अनुपालन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

अतः सभी संबंधित इकाइयों से अनुरोध है कि वे इस सूचना के जारी होने की तिथि से 07 (सात) दिवस के भीतर अपनी सभी शेष बसों में स्टैंड सहित फेस डिटेक्शन डिवाइस की स्थापना सुनिश्चित करें। इस संबंध में

It is hereby informed that all units availing bus services are required to install a Face Detection Device with stand in all remaining buses engaged for transportation purposes.

This measure is being implemented in the interest of strengthening security, ensuring proper identification of personnel, and improving monitoring and compliance with access control protocols.

Accordingly, all concerned units are requested to ensure the installation of the Face Detection Device with stand in all their remaining buses within seven 07 days from the date of issue of this notice. Compliance in this regard is

अनुपालन अनिवार्य है।

अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, स्टैंड सहित फेस डिटेक्शन डिवाइस स्थापित किए बिना संबंधित बसों को SEEPZ परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

mandatory. In case of non-compliance, the buses shall not be permitted to enter the SEEPZ premises until the Face Detection Device with stand is installed.

This issue with the approval of competent authority.



16-01-2026

(राहुल शिवणगोल)
सहायक विकास आयुक्त/सूरक्षा
सीप्ज-सेज

Copy to:

- बस सेवाओं का उपयोग करने वाली सभी इकाइयाँ